

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 03.09.2020

थाना शिवली

दिनांक 02.09.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 403/20 धारा 60 आबाकरी अधि0 में अभियुक्त राहुल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 02.09.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 405/20 धारा 60 आबाकरी अधि0 में अभियुक्त अतुल शुक्ला उर्फ अभिषेक शुक्ला को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 02.09.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 373/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 420/467/468/471 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त कुलदीप को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रसूलाबाद

दिनांक 02.09.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 650/20 धारा 60 आबाकरी अधि0 में अभियुक्त सत्यभान तिवारी को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना भोनगीपुर

दिनांक 02.09.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 91/20 धारा 306 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्तगण रामनरायण आदि 02 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रूरा

दिनांक 02.09.2020 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 312/19 धारा 366 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त अरविन्द को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 दं0प्र0सं0

दिनांक 03.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा रसूलाबाद 02, शिवली 12, बरौर 04, सिकन्दरा 03, अकबरपुर 07, भोगनीपुर 09, गजनेर 03, मंगलपुर 10, राजपुर 04, रूरा 01 अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

डायल 112- निल